

भारतीय ध्वज संहिता

प्रलम्बिस के लिये:

भारतीय ध्वज संहिता, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्त्व, राष्ट्रीय ध्वज का विकास, राष्ट्रीय ध्वज के लिये नियम और वनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि **राष्ट्रीय ध्वज** “जहाँ ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।”

- सरकार ने इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमति देने के लिये ध्वज संहिता में संशोधन किया था।
- सरकार ने हर घर तरिगा अभियान शुरू करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया है ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002:

- इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तरिगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी।
- ध्वज संहिता, ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पूर्व मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करती है।
 - हालाँकि यह पछिले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है:
 - पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
 - दूसरे भाग में जनता, नज़्ज़ी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
 - संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है।
- इसमें उल्लेख है कि तरिगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

हर घर तरिगा अभियान:

- 'हर घर तरिगा' आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तरिगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसे फहराने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान है।
- ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तित्व से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है।
- स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर पर फहराना न केवल तरिगे से व्यक्तित्व संबंध स्थापित करना है, बल्कि यह राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है।
- इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज:

- परिचय:

- 1906:
 - ऐसा माना जाता है कि पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन कर्षितजि पट्टियाँ शामिल थीं, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था।
- 1921:
 - बाद में वर्ष 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पगिली वेंकय्या ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज के एक मूल डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें दो लाल और हरे रंग की पट्टियाँ शामिल थीं।
- 1931:
 - कई बदलावों से गुज़रने के बाद वर्ष 1931 में कराची में कॉन्ग्रेस कमेटी की बैठक में तरिगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।
- 1947:
 - 22 जुलाई, 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था।
- भारतीय तरिगे से संबंधित नयिम:
 - प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950:
 - यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी वभिग द्वारा उपयोग किये जाने वाले चहिन, राष्ट्रपतिया राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय नरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
 - राष्ट्रीय गौरव अपमान नविरण अधिनियम, 1971:
 - यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है।
 - यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत नमिनलखिति अपराधों में दोषी ठहराया जाता है, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लखिसंसद एवं राज्य वधिानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है।
 - राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना।
 - भारत के संविधान का अपमान करना।
 - राष्ट्रगान के गायन को रोकना।
 - संविधान का भाग IV-A:
 - संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को नरिदषिट करता है।
 - अनुच्छेद 51 A (a) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा सही है?

- (a) यहाँ पगिली वेंकैया ने तरिगे (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज) को डिज़ाइन कया था।
- (b) यहाँ पट्टाभासीतारमैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कया।
- (c) यहाँ रबींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अनुवाद बांग्ला से अंगरेज़ी में कया।
- (d) यहाँ मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओल्कॉट ने सबसे पहले थयिसोफकिल सोसायटी का मुख्यालय स्थापति कया।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- मूल गीत 'जन गण मन' (राष्ट्रगान) बांग्ला में लखिा गया था।
- गीत का बांग्ला से अंगरेज़ी में अनुवाद करने का वचिर रबींद्रनाथ टैगोर को तब आया जब वे आयरशि कवि जेम्स एच. कजन्स के नमिंतरण पर बेसेंट थयिसोफकिल कॉलेज का दौरा कर रहे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले के एक छोटे से शहर मदनपल्ले में अपने प्रवास के दौरान इसका अंगरेज़ी में अनुवाद कया।
- भारत की संविधान सभा द्वारा जन गण मन को 24 जनवरी, 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में उदघोषति कया गया था।

अतः कथन (C) सही उत्तर है।

?????: ?????? ??????????